मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 9-2/2009/नियम/चार — भोपाल, दिनांक 6 मई, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—वृद्ध परिवार पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन भुगतान हेतु जन्मतिथि का निधार्रण.

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/2/2009/नियम/चार, (भाग-1) दिनांक 3-8-2009 द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के लिये अतिरिक्त पेंशन दिये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं. उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अन्तर्गत पेंशन/परिवार पेंशन स्वीकृति हेतु कार्यालय प्रमुखों द्वारा प्ररूप-6ख में पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भेजे जाने वाले प्रकरणों में शासकीय सेवक के परिवार के सदस्यों का विवरण जिसमें परिवार के सदस्यों की जन्मतिथि भी बिन्दु क्रमांक-14 के स्तम्भ क्रमांक-3 में अंकित रहती है.

2. अत: निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित ज्ञाप द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन प्ररूप-6-ख के बिन्दु क्रमांक-14 के स्तम्भ क्रमांक-3 में दर्शित जन्मतिथि के आधार पर ही स्वीकृत की जाये.

3. ऐसे प्रकरणों में जहां उल्लेखानुसार प्ररूप में जन्मतिथि अंकित नहीं हो, उन प्रकरणों का निराकरण निम्नानुसार किया जाए :—

(क) ऐसे प्रकरणों, जिनमें उपरोक्त प्रपत्र में जन्मतिथि अंकित नहीं है तथा केवल आयु ही दर्शाई गई है, में जिस वर्ष परिवार पेंशनर ने 80 वर्ष, 85 वर्ष इत्यादि की आयु पूरी कर ली है, उसके आगामी वर्ष की पहली जनवरी से अतिरिक्त परिवार पेंशन का भुगतान किया जाए.

(ख) ऐसे प्रकरणों, जिनमें जन्मतिथि तथा आयु दोनों अंकित नहीं है, में पेंशन संवितरण अधिकारी/बैंक द्वारा पेंशनर को आयु से संबंधित सूचना की अनुपलब्धता के बारे में परिवार पेंशनर को एक संसूचना भेजी जाये और उनसे अनुरोध किया जाये कि वह निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दो प्रतियां भेजें :—

(i) आयकर का स्थाई खाता नम्बर (PAN) कार्ड
(ii) मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो)
(iii) पासपोर्ट

(ग) उपरोक्त कंडिका (ख) में उल्लेखित अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की दशा में आयु के निर्धारण हेतु निर्वाचन पहचान-पत्र को निम्नांकित शर्तों के अधीन मान्य किया जाये.—

(i) परिवार पेंशनर यह प्रमाणित करे कि वह मैट्रिक उत्तीर्ण नहीं है. (मैट्रिक उत्तीर्ण परिवार पेंशनर द्वारा मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, निर्वाचन पहचान पत्र नहीं)

(ii) कंडिका-3(ख) में वांछित अभिलेखों में से क्रमांक (i) से (iii) तक कोई भी अभिलेख उसके पास नहीं है.

4. उपरोक्त कंडिका-3 में उल्लेखित प्रक्रिया आपवादिक रूप से केवल पुराने पेंशनरों जिनमें जन्मतिथि/आयु का उल्लेख नहीं है में ही की जाये. भविष्य में पेंशन प्रकरणों के साथ प्राप्त परिवार की सूची (प्ररुप-6-ख के बिन्दु क्रमांक-14 के स्तम्भ क्रमांक-3) में परिवार के सदस्यों की जन्मतिथि अनिवार्य रूप से अंकित रह ना सुनिश्चित की जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अश्विनी कुमार राय)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.